| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मूलचन्द सैनी बनाम लोक सूचना अधिकारी**<br>**अपील संख्या 2026/184** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.04.26 | पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की टिप्पणी पत्रांक एफ.14(20)सी.सी.ए./संआज/ईएफएन–06513/2025/522 दिनांक 06.04.2026 से प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आर.टी.आई. आवेदन पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्रांक 388 दिनांक 09.02.2026 द्वारा अपीलार्थी श्री मूलचन्द सैनी को सूचित किया गया कि "इस प्रकरण की इस कार्यालय में संधारित कुल दो पत्रावलियों में पत्र जारी किये जाने की दिनांक तक कुल 20 पृष्ठ (मय आदेशिका) है। अतः उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क राशि 20X2= 40/–रू.(शब्दों में राशि रूपये चालीस मात्र) राजकोष में जमा करावें।"<br>उन्होने यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी श्री मूलचन्द सैनी द्वारा उक्त प्रतिलिपि शुल्क राशि 40/– आदिनांक तक राजकोष में जमा नही करवाई गई है। जिससे अपीलार्थी को उसके द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नही हो सका है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृपया उक्त अपील को खारिज कराने का श्रम करावें।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया। जिससे विदित होता है कि कार्यालय के पत्रांक 388 दिनांक 09.02.2026 के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना का प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा करवाने बाबत अवगत कराये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा नही करवाये जाने के कारण सूचना उपलब्ध नही कराई जा सकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावना को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना हेतु प्रतिलिपि शुल्क राजकोष में जमा करवाने पर उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने की विधि सम्मत कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रतिलिपि उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(वे. सरवण कुमार)<br>(अपीलीय अधिकारी)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर। | |